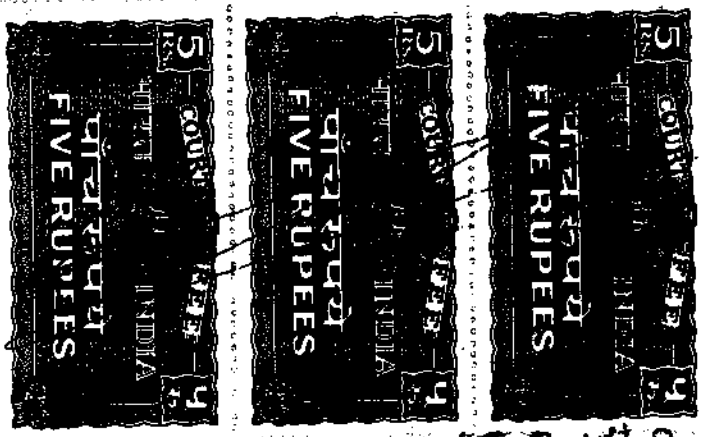

EF Rs 15/-2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिव्यू 1687-II/2004

पुनर्विलोकन क्रं. /2004

श्री मुकेश भार्गव अभि० द्वारा दिनांक 23/12/04 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मंडल, म०प्र०ग्वा०

शिवप्रताप पुत्र श्री देवीशरण राम ब्रा.
निवासी ग्राम बर्दी तहसील चितरंगी
जिला सीधी (म.प्र.)

... आवेदक

विरुद्ध

1. यदुनाथधर पुत्र श्री रामलल्लूधर ब्रा.
2. भास्कर पुत्र श्री यदुनाथधर
3. प्राणनाथ पुत्र श्री रामलल्लूधर
4. मुस.पुष्पा पत्नी गोपीनाथ
5. ओमकारधर पुत्र गोपीनाथ
6. गोविंदनाथधर पुत्र रामलल्लू धर
   समस्त निवासी ग्राम बर्दी तह. चितरंगी
   जिला सीधी (म.प्र.)
7. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर, सीधी

.. अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
23-12-04 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1382-II/2004 में पारित आदेश दिनांक 3.11.04 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण क0 रिव्यु 1687–दो/2004 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2016	आवेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा एवं अनावेदक की ओर से श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण तर्क प्रस्तुत किये तथा उनके तर्को में कहा गया है कि मूल निगरानी प्रकरण कमांक 1382–दो/04 में पारित आदेश दिनांक 3.11.04 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1382–दो/04 में पारित आदेश दिनांक 3.11.04 के विरूद्व पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1687–दो/04 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1382–दो/2004 में पारित आदेश दिनांक 3.11.04 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 1687–दो/2004 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती। स– कोई अन्य पर्याप्त कारण। आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई	

बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचति हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य